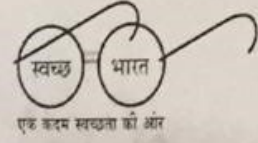




Municipal Corporation

Near fountain chowk, Railway road
YamunaNagar (Haryana) - 135001
91-1732-260227, 237841



www.mcynr.com | mc.yamunanagar@gmail.com | 1800 3070 9777 | MC Yamunanagar

सेवा में,

जिलाधीश,
यमुनानगर।

विषय:-

क्रमांक: न.नि.य.ज./2019/ 4558

दिनांक: 28/11/19

NOC for putting up MS/HSD Retail outlet (Petrol Pump) at Khasra No. 19//7, 19//14/1, Village Shadipur, Tehsil Jagadhri, District Yamuna Nagar, State Haryana.

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 1239-49/पी.एल.ए. दिनांक 16.05.2019 के संदर्भ में।

आप महोदय को अवगत करवाया जाता है कि विषयाधीन भूमि का मौका निरीक्षण किया गया व पाया गया कि उक्त स्थल खसरा नं0 19//7, 19//14/1 खेवट नं0 133, खतौनी नं0 155 मौजा शादीपुर खजुरी रोड पर नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी की Extended Limit में पड़ता है। उक्त स्थल हाल में खाली है। प्रार्थी को पेट्रोल पम्प लगाने के लिए सरकार द्वारा जारी हिदायतों अनुसार नगर निगम की Extended Limit में पेट्रोल पम्प लगाने से पूर्व नियमानुसार सी.एल.यू. लिया जाना अनिवार्य है। निदेशालय के पत्र क्रमांक डी.यू.एल.बी./सी.टी.पी./सी.एल.यू.-वाई.एन.आर./2019/13287-309 दिनांक 26.08.2019 के अनुसार पेट्रोलियम एक्ट के तहत एन.ओ.सी. जारी करने से पहले सक्षम अर्थोटी से सी.एल.यू. लिया जाना अनिवार्य है। सम्बंधित आवेदक द्वारा सी.एल.यू. आवेदन नगर निगम में जमा करवा दिया गया है।

अतः कार्यालय की रिपोर्ट पेश है।

Vinay Singh

कार्यकारी अधिकारी,
कृते: आयुक्त,
नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी।
[Signature]